पत्रांक-एम-4-02/2009..7702../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

जयन्त कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक,
सभी कोषागार पदाधिकारी,

पटना, दिनांक..7/9/15...

विषय :- सरकारी कार्य से पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में देर रात तक अथवा अवकाश के दिन कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने के फलस्वरूप उनको अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कभी-कभी अत्यावश्यक सरकारी कार्यों को निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कर्त्तव्य पर देर रात तक रूकने अथवा अवकाश के दिन कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है और ऐसी परिस्थिति में उनके लिए अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य हो जाता है । इस संबंध में पूर्व में वित्त विभागीय पत्रांक-798/वि०(2) दिनांक 11.02.2009 द्वारा अल्पाहार एवं भोजन मद में कार्यालय से क्रमशः ₹25.00 (पच्चीस) रु० एवं ₹60.00 (साठ) रु० मात्र प्रति व्यक्ति के दर की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा वित्त विभागीय पत्रांक-3318/वि०(2) दिनांक 20.04.2009 द्वारा आवश्यक निदेश दिया गया है ।

उपरोक्त दर का निर्धारण लगभग छः वर्षों पूर्व किया गया है तथा विगत छः वर्षों में भोज्य सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है । अतः समीक्षोपरान्त सरकारी कार्य से कर्त्तव्य पर देर रात तक अथवा अवकाश के दिन में रूककर अत्यावश्यक सरकारी कार्यों की सम्पादन हेतु कार्यालय व्यय मद से अल्पाहार के लिए ₹50.00 (पचास) रु० एवं भोजन के लिए ₹125.00 (एक सौ पच्चीस) रु० प्रति व्यक्ति का दर निर्धारित किया जाता है । उक्त अल्पाहार एवं भोजन के लिए निर्धारित राशि का वित्त विभागीय पत्रांक पत्रांक-3318/वि०(2) दिनांक 20.04.2009 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में नकद भुगतान नहीं किया जायेगा ।

वित्त विभागीय पत्रांक 798/वि०(2) दिनांक 11.02.2009 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

(जयन्त कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

Pramod/sec 4/5

बिहार सरकार
<u>कृषि विभाग</u>

ज्ञापांक– 3 कृ०–बजट–विविध–07/2014 4859 /कृ०, पटना, दिनांकः -24-09-2015

Fax/Mail

प्रतिलिपि :– निदेशक, कृषि/उद्यान/भूमि संरक्षण/पी०पी०एम०, बिहार, पटना /सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ--सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4859 /कृ०, पटना, दिनांकः -24-09-2015

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4859 /कृ०, पटना, दिनांकः -24-09-2015

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,